संख्या–सू0अ0 61 / तैतालिस–2–2010

प्रेषक,

अनीता सिंह,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

प्रशासनिक सुधार अनुभाग–2 लखनऊ, दिनांक 31 मई, 2010

विषय:– सूचना प्राप्त करने हेतु अनुरोध के सम्बन्ध में।

महोदय,

जैसा कि आप अवगत है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) में किसी आवेदक द्वारा सूचना प्राप्त करने हेतु निम्न प्रावधान है –

> **"कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन कोई सूचना प्राप्त करना चाहता है, लिखित में या इलेक्ट्रानिक युक्ति के माध्यम से अंग्रेजी या हिन्दी में या क्षेत्र की राजभाषा, जिसमें आवेदन किया जा रहा है, फीस के साथ सम्बन्धित लोक प्राधिकरण के जन सूचना अधिकारी या सहायक जनसूचना अधिकारी को, उससे द्वारा मांगी गई सूचना को डिफाल्टेड रजिस्टर्ड करने हेतु अनुरोध करेगा।**

2– अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उत्तर प्रदेश राज्य में यदि किसी व्यक्ति द्वारा लिखित में उत्तर प्रदेश की राजभाषा हिन्दी/उर्दू से अलग अंग्रेजी में आवेदन सूचना प्राप्त करने हेतु भेजा जाता है तो उसके आवेदन पत्र को अस्वीकार नहीं किया जायेगा।

कृपया उक्त आदेशों का अनुपालन अपने विभाग तथा अपने अधीन समस्त लोक प्राधिकरणों में सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीया,

(अनीता सिंह)
सचिव।